दिनांक 30.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा 1930 (National Cybercrime Helpline Number) के नवीन कॉल सेन्टर का उद्घाटन किया गया।</u>

आज दिनांक 30.07.2025 को **श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** द्वारा कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित डीसीपी दक्षिणी के कार्यालय में स्थापित 1930 (National Cybercrime Helpline Number) के नवीन कॉल सेन्टर का उद्घाटन एडीजी साइबर क्राइम श्री बिनोद कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।

मा० मुख्यमंत्री जी ने साइबर अपराध को राज्य की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की निजता के लिए एक गंभीर चुनौती मानते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शासन की उक्त प्राथमिकताओं के क्रम में प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग एवं जनता की समस्याओं के दृष्टिगत 10 प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी थी जिसमे साइबर क्राइम एक प्रमुख प्राथमिकता है।

1- साइबर अपराध पंजीकरण हेतु हेल्प लाइन नम्बर (1930) के नवीन काल सेंटर की पृष्ठभूमि

उ0प्र0 में 20 सीटों का साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 का कॉल सेन्टर यूपी 112 मुख्यालय में क्रियाशील है परन्तु बढ़ती साइबर शिकायतों के दृष्टिगत 30 सीटों का उच्च स्तरीय पृथक नवीन कॉल सेन्टर कल्ली पश्चिम में स्थापित किया गया है। जिसे साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा अल्प अवधि में स्थापित किया गया।

- इस कॉल सेन्टर में 24X7 प्रशिक्षित पुलिस कर्मी वित्तीय साइबर अपराध के पीड़ितों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे। जिसके लिये आरक्षी से निरीक्षक तक के 94 पुलिस कर्मी नियुक्त किये गये हैं।
- प्रदेश के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई हेतु कुल 50 कॉलर हर समय उपलब्ध होंगे।
- यहां पर दर्ज हुई शिकायतें I4C, साइबर क्राइम मुख्यालय, जनपदीय / कमिश्नरेट साइबर सेल व सम्बन्धित थाने पर प्रदर्शित होने लगेंगी।
- शीघ्र ही इसी कॉल सेन्टर में I4C की तर्ज पर बैंकों से सहयोग प्राप्त कर CFMC (Cyber Fraud Mitigation Centre) का प्रारम्भ भी किया जाना प्रस्तावित है। इससे एक ही छत के नीचे पुलिस, बैंक व टेलीकाम के कर्मी एक साथ उपलब्ध रहेंगे, जिससे पीडित को तत्काल सहायता मिल सकेगी।

2- नीतिगत निर्णय

(i) 5 लाख धनराशि की सीमा समाप्त करनाः

पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में वर्ष 2020 में परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए थे। तत्समय इन थानों में 05 लाख रुपये से अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के अपराध पंजीकृत तथा स्थानान्तरित होते थे। वर्ष 2023 में शेष जनपदों में 57 नये साइबर क्राइम थाने स्थापित किये गये।

आम जनमानस के हितों को दृष्टिगत रखते हुए थाने हेतु निर्धारित 05 लाख रुपये की सीमा समाप्त कर दी गयी है तथा अब थानों पर हर प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय अपराध पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि साइबर थानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

(ii) साईबर कमांडोः

प्रत्येक जोनल मुख्यालय पर एक प्रशिक्षित अधिकारी **"साइबर कमांडो"** की नियुक्ति की जा रही है, जो जोन के समस्त जनपदोंकमिश्नरेट के विवेचकों को जटिल साइबर अपराधों की जांच में सहायता उपलब्ध करायेंगे। / वर्तमान में उ0प्र0 के 15 पुलिस कर्मियों द्वारा I4C के माध्यम से संचालित 06 माह का साइबर कमाण्डो कोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों से पूर्ण किया गया है।

(iii) उपनिरीक्षक को विवेचक बनाने हेतु प्रचलित कार्यवाहीः-

शासन से पत्राचार कर यह प्रयास किया जा रहा है कि आईटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव कर साइबर अपराधों की विवेचना हेतु विवेचनाधिकारी निरीक्षक (Inspector) स्तर से घटाकर उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) स्तर तक कर दिया जाये, जिससे एफआईआर पंजीकरण एवं मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) पीड़ितों की धनराशि बिना एफआईआर लौटाने हेतु किए जा रहे प्रयासः

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वित्तीय साइबर अपराध में CFCRRMS (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) के माध्यम से फ्रीज धनराशि को शीघ्र बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र पीड़ितों के प्रार्थना पत्र पर पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए उ०प्र० शासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विचाराधीन है।

(V) नोडल अधिकारी- प्रत्येक जनपद कमिश्नरेट में अपर पुलिस अधीक्षक/ डीसीपी स्तर के अधिकारी को साईबर अपराध हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके दायित्वों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जायेगा।

2- बुनियादी ढांचा / संस्थागत (Infrastructure / Institutional)

एक त्रिस्तरीय साइबर जांच एवं डिजिटल सहायता प्रयोगशाला (Cyber Investigation and Digital Assistance Lab)-मुख्यालय, रेंज / कमिश्नरेट और जनपद स्तर पर प्रस्तावित की जा रही है, जो प्रदेश में साइबर अपराधों की जांच एवं उनके निस्तारण की गति को अत्यंत तीव्र कर देगी।

3- प्रशिक्षण (Training)

- उत्तर प्रदेश में हर स्तर के पुलिस अधिकारियों को Peer Learning सेशन के माध्यम से ऑनलाइन तथा NCTC (National Cybercrime Training Centre), CFSL (Central Forensic Science Laboratory) से निरन्तर प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा रहा है एवं भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से साइबर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुल 11,683 पुलिस कर्मियों द्वारा I4C द्वारा संचालित CyTrain Portal के माध्यम से साइबर प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरीय 38,550 सर्टिफिकेट प्राप्त किये गये हैं।

4- साइबर जागरुकता (Cyber Awareness)

माह के प्रत्येक प्रथम बुधवार को साइबर जागरुकता दिवस के रुप में मनाया जा रहा है। उ०प्र० पुलिस को उनके स्थानीय सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक सामाजिक संगठनों, डिजिटल वालंटियर, ग्राम मोहल्ले के निवासियों आदि से समन्वय कर सहयोग प्राप्त कर साइबर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

लखनऊ पुलिस

RAJEEV KRISHNA

1930
CYBER CRIME HELPLINE
Financial Fraud
Non-Financial Cyber Crime

दिनांक 30.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 29.07.2025 को थाना जैत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामताल चौराहा से वृन्दावन क्रिकेट अकेडमी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैत पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोपाल निवासी थोक दाउद चौमुंहा थाना जैत जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद गोण्डा/थाना को0कर्नलगंज

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• 18 हजार 500 रूपये नगद

• भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

• 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद

दिनांक 29.07.2025 को थाना को0कर्नलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कादीपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुनील घायल हो गया, जिसे अभियुक्त खेमराज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 18 हजार 500 रूपये नगद, भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सुनील के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 02 अभियोग एवं अभियुक्त खेमराज के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी के विभिन्न थानो में लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना को0कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी भुलईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

2–खेमराज निवासी शुकुलपुरवा मुण्डेरवा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–18 हजार 500 रूपये नगद।

2–भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद झाँसी/थाना रक्सा

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 ट्यूबलर बैटरी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.07.2025 को थाना रक्सा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाजना रोड नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सचेन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शशेन्द्र 3–बन्टी उर्फ आकाश 4–हर्ष 5–लक्ष्मन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 ट्यूबलर बैटरी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना रक्सा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचेन्द्र निवासी ग्राम लहर ठकुरपुरा थाना बबीना जनपद झाँसी।

2–शशेन्द्र निवासी ग्राम लहर ठकुरपुरा थाना बबीना जनपद झाँसी।

3–बन्टी उर्फ आकाश निवासी मड़ोर थाना ओरछा जनपद निवाड़ी म0प्र0।

4–हर्ष निवासी ग्राम सिमिलिया थाना बबीना जनपद झाँसी।

5–लक्ष्मन निवासी ग्राम सिमिलिया थाना बबीना जनपद झाँसी।

बरामदगी

1—चोरी की 24 ट्यूबलर बैटरी।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना वजीरगंज

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 29.07.2025 को थाना वजीरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिप्स अस्पताल, शहीद स्मारक व कैसरबाग पार्किंग के पास से 05 अभियुक्तों 1—सैय्यद मोहम्मद 2—आदित्य 3—सोनू उर्फ तबारक 4—अस्मित उर्फ ईशान 5—संजय कुमार को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 दो पहिया वाहन बरामद की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त सोनू उर्फ तबारक व अस्मित उर्फ ईशान के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05—05 अभियोग एवं अभियुक्त संजय कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैय्यद मोहम्मद निवासी मधोर टोला रिजवी खां थाना कोतवाली शहर जनपद जौनपुर।

2—आदित्य निवासी डालीगंज भांडू टोला थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3—सोनू उर्फ तबारक निवासी कच्ची मिल्लत ढ़ाल थाना मड़ियाव कमिश्नरेट लखनऊ, मूलपता ग्राम गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर।

4–अस्मित उर्फ ईशान निवासी कल्लन की लाट थाना अमीनाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।

5–संजय कुमार निवासी तुलसीखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई, हालपता दाउदनगर थाना मड़ियाव कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी की 14 दो पहिया वाहन।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सेहरामऊ दक्षिणी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 43 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 30.07.2025 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नागरपाल पुल के पास से अभियुक्त प्रतीक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 43 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रतीक कुमार निवासी ग्राम भैसटा कलां थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–02 किलो 43 ग्राम अवैध अफीम।

➢ **जनपद मीरजापुर/थाना चिल्ह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चिल्ह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अंकित कुमार 2–राधेश्याम को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–समयदीन को धारा 302/34 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–हारून 3–आलमगीर 4–नासिर को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रप्रकाश को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेयपुर (प्रभावी पैरवो के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना लालपुर पाण्डेयपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दशमी राजभर को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————